

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) का कार्यालय, केरला, तिरुवंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM

सं.प्र.मले(लेखापरीक्षा II)/सामान्य/08-04/2022-23

No.PAG (AUDIT II./General/08-04/2022-23

दिनांक: 18.04.2022

परिपत्र/CIRCULAR No.5

विषय: भारतीय लेप. और लेखा विभाग में ब्रीफकेस/ऑफिस बैग्स / लेडीज पर्स की प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता-बावत्

Sub: Entitlement of re-imbursement of Briefcase/ Office Bags/ Ladies Purse for official purpose in IA &AD –reg.

मुख्यालय कार्यालय ने परिपत्र सं.4-Staff 2022 No.16-Staff Ent.II/33-2021 दिनांक 03.02.2022 के द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के नियमित पद धारण करने वाले पदाधिकारियों/ अधिकारियों को आधिकारिक उपयोग के लिए ब्रीफकेस/ ऑफिस बैग्स/ लेडीज पर्स की प्रतिपूर्ति हेतु मौद्रिक अधिकतम सीमा को निम्नानुसार अनुमोदित किया है;

Headquarters office vide Circular No.4-Staff 2022 No.16-Staff Ent.II/33-2021 dated 03.02.2022 has approved the monetary ceiling limit for reimbursement of briefcase/office bags/ladies purse for official use to the entitled officers/officials of IA&AD holding regular post as under;

क्र.सं. Sl No.	अधिकारियों का स्तर Level of Officers	अधिकतम सीमा(रु) Ceiling limit(Rs)
1	वरि.लेप.अ./ स.लेप.अ./पर्यवेक्षक या समकक्ष Sr.AO/ AAO/Supervisors or equivalent	4,000
2	सहायक पर्यवेक्षक एवं वरि. लेखापरीक्षक Assistant Supervisors & Sr. Auditors	3,500

हकदार पदाधिकारी/ अधिकारी किसी भी निजी/सार्वजनिक दुकान से अपनी पसंद का ब्रीफकेस/ ऑफिस बैग्स/ लेडीज पर्स खरीद सकते हैं। तथापि, प्रतिपूर्ति उपरोक्त अधिकतम सीमा तक ही सीमित होगी।


ब्रीफकेस/ ऑफिस बैग्स/ लेडीज पर्स की लागत की प्रतिपूर्ति हकदार पदाधिकारियों/ अधिकारियों को इस विभाग में कार्यभार ग्रहण करने पर अथवा पहले के आपूर्ति की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण होने पर की जाएगी।

यह आदेश दिनांक 01-02-2022 से लागू होंगे।

The entitled officers/officials can purchase briefcase/office bags/ladies purse of their own choice from any private/public outlet. However, reimbursement shall be restricted to the above ceiling limits.

The cost of briefcase/office bags/ladies purse will be reimbursed to the eligible officers/officials on joining this Department or on completion of three years from the date of issue of earlier one.

These orders will be in force from 01-02-2022.


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य
Senior Audit Officer/General